न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 136/2016

1 हबीब अली खां पुत्र बहादुर खां जाति मुसलमान निवासी बलोद भाखरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामरतन पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम नबीपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
2 तहसीलदार फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
3 जिला कलेक्टर प्रतिनिधि राज्य सरकार जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर बसिलसिले
दावा अनुवानी रामरतन बनाम तहसीलदार फतेहपुर
दावा संख्या 31/2013

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 15.04.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा संख्या 31/2013 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 7.45 हैक्टेयर तन ग्राम बलोद भांखरा स्थित है जिसका पूर्व में अपीलांट का परिवार में ताऊ दीनदार खां खातेदार काश्तकार था जिसका देहान्त हो चुका है। अपीलांट विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। रेस्पोडेंट संख्या 1 रामरतन व उसके पिता का विवादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा व अधिकार न होते हुये भी उसने एक सर्वथा झुठा व गलत दावा मनगढ़न्त तथ्यो के आधार पर विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरूद्व दावा बाबत उद्वघोषणा एवं संशोधन खाता प्रस्तुत किया। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का कोई सीधा हित प्रभावित नही होता था। उक्त दावे में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरूद्व दावे में एकतरफा कार्यवाही करवाने अपनी तरफ से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जिसके आधार पर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का दावा डिक्री किए जाने योग्य नही होते हुये भी विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2013 के द्वारा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का दावा विरूद्व कानून डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दीनदार खां की मृत्यु के बाद उसके चाचा करीम खां के वारिसान दीनदार खां के उतराधिकारी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 7.45 हैक्टेयर पर मईनुदीन खां, कासम खां, याकुब खां, रियासत अली खां, नौसाद अली खां की सहमति व स्वीकृति से अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी में अपीलांट ने एक फुस का ढ़ारा अर्थात फोडर शेड बना रखा है तथा एक पानी का कुण्ड भी बना रखा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दीनदार खां नाम का कोई व्यक्ति न होना सर्वथा गलत अंकित किया है व इसी भांति भैरू नाम का कोई व्यक्ति न होना भी सर्वथा गलत अंकित किया है व इस प्रकार विचारण न्यायालय को धोखा देकर निर्णय व डिक्री जैर अपील जारी करवाया है जो निरस्तनीय है। दीनदार खां के खाते काश्त की विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजी खसरा नम्बर 53 व 54 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 17 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम बलोद भाखरा में और थी जिस पर अपीलांट के पिता बहादुर खां व उसके भाई महमूद खां का कब्जा काश्त चला आ रहा था पटवारी हल्का ने सन् 1992 में अपीलांट के कब्जा शुद्वा विवादित भूमि खसरा नम्बर 185 को छोड़कर अन्य शेष भूमि खसरा नम्बर 53,54,55 तन ग्राम बलोद भाखरा के सम्बंध में रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 4 राजगामी अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की जिस पर मुकदमा नम्बर 02/1992 कायम किया गया व अपीलांट के पिता बहादुर खां व उसके भाई महमूद खां पुत्र करीम खां के विरूद्व नोटिस जारी किये गये कि क्यों न उन्हे भूमि खसरा नम्बर 53,54,55 के बेदखल कर दिया जावे जिस पर अपीलांट के पिता बहादुर खां व उसके भाई महमूद खां ने आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें उन्होने उल्लेख किया कि पीरू खां व मीरू खां दो सगे भाई थे। पीरू खां के पुत्र ईसू खां हुए और ईसू खां के पुत्र दीनदार खां हुए जिनका देहान्त निःसन्तान हो गया। मीरू खां के करीम खां पुत्र हुआ। करीम खां के पुत्र नब्बू खां, महमूद खां व बहादुर खां हुए जिनकी वंश वंशावली पेश की तथा अपने आपको मृतक दीनदार खां के चचेरे भाई होना तथा दीनदार खां की सेवा भी उनके द्वारा करना बताया व इसके अलावा लाडमा बेवाह नब्बू खां ने भी विवादित सम्पति को लावारिस होना नही बताया। आपत्तिकर्ताओ ने मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.1993 को कार्यवाही अन्तर्गत धारा 4 राजगामी अधिनियम 1956 ड्राप कर दी। वादी के पिता बहादुर खां व महमूद खां ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर में एक दावा इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी दावा संख्या 161/1991 किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

था जिसमें बहादुर खां व महमूद खां के भाई स्व0 नब्बू खां के वारिसान को भी प्रतिवादीगण संख्या 3,4 व 5 बनाये गये व राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर व तहसीलदार फतेहपुर को भी प्रतिवादीगण बनाया गया जो बाद सुनवाई दिनांक 07.04.1994 को अपीलांट के पिता बहादुर खां व महमूद खां के हक में डिक्री किया गया जिसके आधार पर उनके हक में खातेदारी अंकित हो चुकी है उपरोक्त तथ्यो से यह स्पष्ट है कि दीनदार खां नाम का व्यक्ति अपीलांट के परिवार का था वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दीनदार का नाम का कोई व्यक्ति कभी नही बताकर विचारण न्यायालय के साथ धोखा किया है जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गलती की है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 185 पर अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है जिसमें अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है अपीलांट का पिता बहादुर खां एवं महमूद खां मृतक दीनदार खां के चचेरे भाई के लड़के होने से उतराधिकारी है तथा अपीलांट बहादुर खां का जायन्दा पुत्र है जो बहादुर खां के अन्य वारिसान व बहादुर खां के भाई महमूद खां वारिसान की सहमति से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलांट ने विवादित आराजी पर फुस का ढ़ारा व पानी का होद बना रखा है व विवादित आराजी में खरीब की फसल काश्त कर रखी है। निर्णय जैर अपील से अपीलांट के अधिकारो पर कुप्रभाव पड़ता है अतः अपीलांट को अपने अधिकारो की रक्षा के लिए अपील करना आवश्यक है जिसके लिए विचारण न्यायालय द्वारा इजाजद दी जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके लिए आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत कर दी है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में आर.आर.डी. 1997 पेज 606, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 467, आर. आर.टी. 2017 (2) पेज 1104, डी.एन.जे. 2014(3) पेज 1138 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर दीनदार खां के वारिस होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 185 की भूमि के सम्बंध में कभी कोई दावा पेश नही किया गया है। अपीलांट का यदि इस भूमि से सम्बंध होता तो उनके द्वारा खसरा नम्बर 53,54 व 55 के साथ ही खसरा नम्बर 185 के सम्बंध मे भी दावा प्रस्तुत किया जाता। अपीलांट द्वारा दीनदार खां को 1982 में फौत होना बताया गया है। यदि अपीलांट वारिस थे तो उनके द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही क्यों नही की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के पैरा संख्या 4 में अंकित सजरा खानदान में पीरू खां व मीरू खां के पिता का नाम अंकित नही किया गया है। अपीलांट द्वारा अंकित सजरा खानदान में वर्णित वारिसान को अपीलांट द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। सभी की लिखित सहमती होने का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट द्वारा दीनदार खां के बलोद भाखरा का निवासी होने के सम्बंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व से ही विवादित भूमि रेस्पोडेंट के पूर्वजों के कब्जे काश्त मे थी जो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी प्राप्त हुई है। तहसीलदार समक्ष वाद में रेस्पोडेंट पक्षकार नही थे। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि गुणावगुण होने पर ही मियाद के बिन्दु को क्षमा किया जा सकता है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट के पूर्वजो ने कभी भी दावा नही किया है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही होने से उसे विचारण न्यायालय में भी पक्षकार नही बनाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 19, आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 336 (बी.आर.जे.), डी.एन.जे. 2015 (2) पेज 657, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 614, आर.आर.डी. 1996 पेज 535, आर.एल. डब्ल्यू 2014(1)(आर.जे.) पेज 264, आर.एल.डब्ल्यू 2017(1)(आर. जे.) पेज 288, डी.एन.जे. 2007(3) (राजस्थान) पेज 1339, आर.आर.टी. 2009–10 पेज 535 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5, धारा 96 एवं गुणावगुण पर खारिज करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपील न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर दीनदार खां के वारिस होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 185 की भूमि के सम्बंध में कभी कोई दावा पेश नही किया गया है। अपीलांट का यदि इस भूमि से सम्बंध होता तो उनके द्वारा खसरा नम्बर 53,54 व 55 के साथ ही खसरा नम्बर 185 के सम्बंध मे भी दावा प्रस्तुत किया जाता। अपीलांट द्वारा दीनदार खां को 1982 में फौत होना बताया गया है। यदि अपीलांट वारिस थे तो उनके द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही क्यों नही की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के पैरा संख्या 4 में अंकित सजरा खानदान में पीरू खां व मीरू खां के पिता का नाम अंकित नही किया गया है। अपीलांट द्वारा अंकित सजरा खानदान में वर्णित वारिसान को अपीलांट द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। सभी की लिखित सहमती होने का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट द्वारा दीनदार खां के बलोद भाखरा का निवासी होने के सम्बंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व से ही विवादित भूमि रेस्पोडेंट के पूर्वजों के कब्जे काश्त मे थी जो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी प्राप्त हुई है। तहसीलदार समक्ष वाद में रेस्पोडेंट पक्षकार नही थे। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि गुणावगुण होने पर ही मियाद के बिन्दु को क्षमा किया जा सकता है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट के पूर्वजो ने कभी भी दावा नही किया है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही होने से उसे विचारण न्यायालय में भी पक्षकार नही बनाया गया था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट प्रभावित पक्षकार साबित नही होने से अपीलांट की अपील धारा 96 सीपीसी पर एवं पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार गुणावगुण पर विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर